URGENT

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(365)नविवि / 3 / 2013

जयपुर, दिनांकः 24 JAN 2014

1. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रिडकोर, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, जे0सी0टी0सी0एल, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास,..........(समस्त), राजस्थान।

विषयः– आगामी 60 दिवस में किये जाने वाले 11 कार्यों की समयबद्ध क्रियान्विति के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की आगामी 60 दिवस में 11 सूत्री कार्ययोजना तय की गई है। उक्त कार्ययोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाने हेतु संलग्न सूची में बिन्दुवार नॉडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः आपसे सम्बन्धित बिन्दु के कार्य का सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन 60 दिनों में सुनिश्चित किया जावे। साथ ही कार्य की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जरिये फैक्स (0141–5116782, 5116865) एवं ई–मेल (dsudh@yahoo.com) द्वारा प्रत्येक सप्ताह अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डी0बी0गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

Action Plan Jan, 2014 to Feb, 2014

क्र.सं.	लक्ष्य	उपलब्धि	क्रियान्विति की स्थिति
1	**राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छ नगर अभियान प्रारंभ कर प्रभावी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में अवस्थित उद्यानों का रखरखाव एवं नलकूप आदि का संधारण सुनिश्चित करना। इसके लिए संबंधित जिला कलक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जायेगी। (स्वायत्त शासन विभाग)**		
2	राज्य के समस्त नगरीय निकायों में सडक मरम्मत, सडक सुरक्षा चिह्न लगाना, रोड पेंटिंग एंव मार्किंग की व्यवस्था विशेष अभियान चलाकर की जायेगी। **(स्वायत्त शासन विभाग/संबंधित प्राधिकरण/न्यास)**		
3	राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास का गठन वर्तमान में राज्य के 3 शहरों यथा जयपुर, जोधपुर व अजमेर (किशनगढ़ व पुष्कर सम्मिलित करते हुये) में विकास प्राधिकरण एवं 15 शहरों (कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ, भिवाड़ी, जैसलमेर, आबू एवं बाड़मेर) में नगर विकास न्यास कार्यरत है। **(नगरीय विकास विभाग)**		
4	राज्य के समस्त नगरीय निकायों के मास्टर प्लान तैयार करना। **(नगर नियोजन विभाग)**		
5	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों में 21 नवम्बर, 2012 प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था, जिसकी रियायतों की अवधि 31.12.2013 बढ़ायी गई थी। इस अभियान को आगे बढाते हुए दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदनों का दिनांक 31.03.2014 तक या लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लगने तक जो भी पहले हो, निष्पादन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दी गयी शिथिलताऐं, छूट तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 31.03.2014 तक बढाना। **(स्वायत्त शासन विभाग)**		
6	समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से रैन बसेरा चालू करना। इन रैन बसेरों में समस्त व्यवस्थाऐं यथा बिजली, पानी, रजाई, बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। **(स्वायत्त शासन विभाग)**		
7	अमानीशाह नाले से विस्थापितों के पुनर्वास की कार्यवाही करना। **(जयपुर विकास प्राधिकरण)**		
8	समस्त प्राधिकरणों नगर विकास न्यासों एवं जिला मुख्यालय के स्थानीय निकायों पर प्रभावी ढंग से नागरिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करना। **(स्वायत्त शासन विभाग/संबंधित प्राधिकरण/न्यास)**		
9	जयपुर शहर में सिटी बसों हेतु बसों के स्टोपेज हेतु बस शेल्टर का निर्माण करना। **(जयपुर विकास प्राधिकरण/जे0सी0टी0सी0एल0)**		
10	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस अवधि में 1500 नये आवास हेतु आवेदनों का रजिस्ट्रेशन करना, 4000 आवासों का निर्माण पूर्ण करना, 1500 नये आवासों का कार्य प्रारम्भ करना।**(राजस्थान आवासन मण्डल)**		
11	भिवाड़ीनीमराणा सम्पर्क सडक निर्माण हेतु रिडकोर के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करवाना। **(नगर विकास न्यास भिवाडी/रिडकोर)**		